दिनांक 01.12.2010 को अपरान्ह 12.30 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जिन निजी चिकित्सालयों को रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित किये गये उनमें बीपीएल मरीजों को निःशुल्क ईलाज सुविधा प्रदान करने बाबत आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण –

- बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया –

1.	श्री ललित कोठारी	अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर
2.	श्री जी.एस. सन्धू	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
3.	श्री बी.एल. आर्य	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
4.	श्री पी.के. गोयल	आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर
5.	डॉ. आर. वेंकटेश्वरन	सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
6.	डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर

- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 17.05.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 43 के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाये। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को रिपोर्ट की सिफारिशों से अवगत करवाया।
- विचार–विमर्श उपरान्त निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये –

1. जिन निजी चिकित्सालयों को राज्य सरकार/स्वायत्त शासी संस्थाओं/निगम इत्यादि द्वारा अब तक रियायती/रिजर्व दरों पर भूमि आवंटित की गई है उनकी मॉनिटरिंग का कार्य पूर्व की भांति यथावत किया जावें।
2. भविष्य में जिन निजी चिकित्सालयों को राज्य सरकार/स्वायत्त शासी संस्थाओं/निगम इत्यादि द्वारा रियायती/रिजर्व दरों पर भूमि आवंटित की जावेगी उनमें उनकी कुल शैय्या क्षमता की 10 प्रतिशत शैय्या बीपीएल मरीजों के लिये आरक्षित रखी जावेगी।
3. आईपीडी बीपीएल मरीजों के ईलाज का सम्पूर्ण व्यय यथा दवा, जाँच एवं इम्प्लांट का खर्चा निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा अर्थात बीपीएल मरीज के भर्ती से ईलाज करवाने के बाद उसे डिस्चार्ज करने तक का सम्पूर्ण व्यय निजी अस्पतालों को ही वहन करना पड़ेगा। बीपीएल मरीजों को ईलाज के दौरान किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
4. ओपीडी के बीपीएल मरीजों को निजी चिकित्सालयों में इस सुविधा का लाभ देय नहीं होगा।
5. निजी चिकित्सालय में बीपीएल मरीजों को रैफर/निगरानी करने हेतु एवं शर्तों तथा नियमों की पालना हेतु संबंधित जिले के जिला कलक्टर द्वारा कार्यवाही की जायेगी। जिन निजी

- चिकित्सालयों द्वारा शर्तों व नियमों का उल्लंघन किया जायेगा उनकी रिपोर्ट जिला कलक्टर द्वारा भूमि आवंटन करने वाले संस्थान एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दी जायेगी।
- उपरोक्त समस्त निर्णयों को शामिल करते हुये भूमि आवंटित करने वाले संबंधित विभाग / स्वायत्त शासी संस्थाओं / निगम / संस्था इत्यादि अपने नियम / उप नियमों में अतिशीघ्र आवश्यक संशोधन करेगा एवं संशोधन करने के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय को की गई कार्यवाही से अवगत करवायेंगे।
- बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों / निकायों के कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा हेतु अनुमोदित निजी अस्पतालों में भी प्रति माह 5 बीपीएल मरीजों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रमों / निकायों द्वारा अपने अनुमोदित निजी अस्पतालों के साथ किये गये अनुबन्ध में इस आशय का आवश्यक संशोधन करवायें।
- बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

F29(17) NRHM/MMJRK/B.A.Point43/10/12574 दिनांक-02/12/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम, उधोग भवन, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

CO-IT

Pl. email to all CMHO & DPM by today

10/12/10

(डॉ. प्रीतम बी यशवंत)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन